समाचार

संपत्ति का ब्योरा देने पर ही वेतन

Jan 01, 05:30 am Print

पटना, जागरण ब्यूरोः बिहार में राज्यकर्मियों को अगर फरवरी महीने का वेतन लेना है, तो 28 फरवरी तक उन्हें अपनी संपत्ति और देनदारी के संबंध में ब्योरा देना होगा। आइएएस, आइपीएस, भारतीय वन सेवा से लेकर राज्य की तमाम सेवाओं, मुख्यालय से लेकर क्षेत्रों में निचले स्तर तक के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए संपत्ति की घोषणा अनिवार्य कर दी गई है। सिर्फ चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को इससे राहत दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्वीकृति के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय का परिपत्र जारी कर दिया है।

निजता नीति | सेवा की शर्तें | आपके सुझाव
इस पृष्ठ की सामग्री जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई है
कॉपीराइट © 2007 याहू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित
कॉपीराइट / IP नीति